

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बांदा, मीरजापुर, ललितपुर, महोबा, आगरा, जालौन, चित्रकूट, आजमगढ़, कानपुर देहात, हमीरपुर,
मुरादाबाद, इलाहाबाद, अमेठी, कन्नौज, कानपुर नगर, खीरी, फतेहपुर, बरेली, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़,
झांसी, रामपुर, शाहजहाँपुर, मथुरा, कुशीनगर, बुलन्दशहर, बलिया, गोरखपुर, सम्भल, गौतमबुद्धनगर,
हाथरस, मैनपुरी, अलीगढ़, कौशाम्बी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमरोहा, गाजीपुर, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई,
अम्बेडकरनगर, सीतापुर, वाराणसी, जौनपुर, चन्दौली, देवरिया, बस्ती एवं संत कबीरनगर।

राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ: दिनांक: २३ अक्टूबर, २०१५

विषय: प्रदेश में चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि/अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुई क्षति के
सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से फसलों को हुई क्षति के
सापेक्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये वित्तीय
वर्ष २०१५-१६ में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ₹० ३००,००,००,०००/- (रुपये तीन सौ
करोड़ मात्र) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति
प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	धनराशि (लाख में)
१	बांदा	२०००
२	मीरजापुर	२००
३	ललितपुर	२५००
४	महोबा	२०००
५	आगरा	७००
६	जालौन	२०००
७	चित्रकूट	१५००
८	आजमगढ़	२००
९	कानपुर देहात	१०००
१०	हमीरपुर	२०००
११	मुरादाबाद	७००
१२	इलाहाबाद	७००
१३	अमेठी	३००
१४	कन्नौज	२००
१५	कानपुर नगर	२००

16	खीरी	200
17	फतेहपुर	700
18	बरेली	200
19	फिरोजाबाद	300
20	प्रतापगढ़	500
21	झांसी	2000
22	रामपुर	600
23	शाहजहाँपुर	500
24	मथुरा	2500
25	कुशीनगर	200
26	बुलन्दशहर	300
27	बलिया	200
28	गोरखपुर	200
29	सम्भल	200
30	गौतमबुद्धनगर	200
31	हाथरस	300
32	मैनपुरी	400
33	अलीगढ़	200
34	कौशाम्बी	200
35	बाराबंकी	300
36	सुल्तानपुर	100
37	अमरगढ़	200
38	गाजीपुर	500
39	लखनऊ	200
40	रायबरेली	400
41	हरदोड	400
42	अम्बेडकर नगर	100
43	सीतापुर	500
44	वाराणसी	200
45	जौनपुर	200
46	चन्दौली	200
47	देवरिया	200
48	बस्ती	200
49	संतकबीरनगर	200
योग		30000.00
		रूपये तीन सौ करोड़ मात्र

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कागज राहत-आयोजनोत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-05-नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- सीमित धनराशि को हथिगत रखते हुये शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि प्रथमतः लघु एवं सीमान्त कृषकों को ही प्रदान की जाय।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी प्रयोजन एवं मद में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर अन्य किसी भी प्रयोजन में व्यय नहीं किया जायेगा। ऐसा व्यय जिसके लिये बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो इसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त व्यय किया जायेगा। इस स्वीकृत धनराशि का व्यय-विवरण अलग से शासन को प्रेषित किया जायेगा। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24.09.2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले ₹0 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा ₹0 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

5- इस धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

6- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय। उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये। व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर व्यय-विवरण शासन को प्रेषित किया जाय।

7- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20.06.2015 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी://राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

भवदीया,
(लोना जीहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-28/10/2015

25

प्रेषण संख्या:

आवंटन आदेश संख्या:-

025-1-10-2015

अनुदान संख्या:-

51 राजस्व विभाग (द्वैती विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) वित्तीय वर्ष 2015-

लेखाशीर्षक:-

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मत्तदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

05 - नेशनल डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	42-अन्य व्यय	योग
1	बुलन्दशहर-4217- जिलाधिकारी --01--	वर्तमान प्रगामी	30000000 90000000
2	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 50000000
3	मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	250000000 360000000
4	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	70000000 150000000
5	मैनपुरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	40000000 80000000
6	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 40000000
7	मुरादाबाद-4217- जिलाधिकारी --01--	वर्तमान प्रगामी	70000000 170000000
8	शाहजहांपुर-4217- जिलाधिकारी --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 110000000
9	रामपुर-4217 जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	60000000 120000000
10	कानपुर नगर-4217- जिलाधिकारी --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 30000000
11	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	70000000 230000000
12	इलाहाबाद-4217- जिलाधिकारी --01--	वर्तमान प्रगामी	70000000 170000000
13	झाँसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	200000000 320000000
14	जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	200000000 300000000
15	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	200000000 320000000
16	बाँदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	200000000 340000000
17	वाराणसी-4217- जिलाधिकारी --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 40000000
18	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 40000000
19	जौनपुर-4217 जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 70000000
20	गाजीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 170000000
21	बलिया-4217 जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 40000000
22	गोरखपुर-4217- जिलाधिकारी --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 40000000
23	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 100000000
24	आजमगढ़-4217- जिलाधिकारी --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 30000000

25	देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 50000000	20000000 50000000
26	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217- जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 70000000	20000000 70000000
27	रायबरेली-4217- जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	40000000 130000000	40000000 130000000
28	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 180000000	50000000 180000000
29	हरदोई-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	40000000 140000000	40000000 140000000
30	लखीमपुर खीरी-4217- जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 30000000	20000000 30000000
31	सुल्तानपुर-4217 जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 20000000	10000000 20000000
32	प्रतापगढ़-4217- जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 140000000	50000000 140000000
33	बाराबंकी-4217- जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	30000000 80000000	30000000 80000000
34	ललितपुर-4217- जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	250000000 460000000	250000000 460000000
35	कानपुर देहात-4217- जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000000 190000000	100000000 190000000
36	फिरोजाबाद-4217- जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	30000000 70000000	30000000 70000000
37	महोबा-4217- जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	200000000 290000000	200000000 290000000
38	कुशीनगर-4217- जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 50000000	20000000 50000000
39	अम्बेदकर नगर-4217- जिलाधिकारी --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 20000000	10000000 20000000
40	गौतमबुद्ध नगर-4217- जिलाधिकारी --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 40000000	20000000 40000000
41	चन्दौली-4217- जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 80000000	20000000 80000000
42	हाथरस-4217- जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	30000000 80000000	30000000 80000000
43	संत कबीर नगर-4217- जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 30000000	20000000 30000000
44	कौशाम्बी-4217- जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 50000000	20000000 50000000
45	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 30000000	20000000 30000000
46	अमरोहा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 40000000	20000000 40000000
47	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	150000000 220000000	150000000 220000000
48	अमेठी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	30000000 50000000	30000000 50000000
49	सम्बल-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 50000000	20000000 50000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	3000000000 6000000000	3000000000 6000000000
महायोग- (वर्तमान आवंटन):-		रुपया तीन अरब		
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-		रुपया छः अरब		

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी